भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1091
(13 दिसम्बर, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत लाभार्थी

1091. श्री आर.के. सिंह पटेलः
श्री सुखबीर सिंह जौनापुरियाः

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत राज्य-वार और जिला-वार कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं और कितने लोगों को लाभ प्राप्त हुआ है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान पीएमएवाई-जी के अंतर्गत राज्य-वार और जिला-वार कुल कितने आवास उपलब्ध कराए गए और कितने लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं और राजस्थान के टोंक और सवाई माधोपुर जिलों की इस संबंध में स्थिति क्या है;

(ग) पीएमएवाई-जी के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों और अब तक प्राप्त उपलब्धियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त अवधि के दौरान राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बांदा और चित्रकूट जिलों सहित देश के सभी परिवारों/गरिब परिवारों के लिए और जिला-वार शत-प्रतिशत आवास सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत परिवारों/लाभार्थियों से किसी आवेदन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि लाभार्थियों की पहचान एसईसीसी 2011 और आवास+ डेटाबेस से की जाती है।

(ख) राजस्थान के टोंक और सवाई माधोपुर जिलों की स्थिति के साथ-साथ पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान पीएमएवाई-जी के तहत प्रदान किए गए मकानों की कुल संख्या और लाभान्वित लाभार्थियों का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध- **I** में दिया गया है। पीएमएवाई-जी के तहत निर्मित मकानों का जिला-वार विवरण कार्यक्रम की वेबसाइट www.pmayg.nic.in--->AwaasSoft--->Reports---> लक्षित वित्त वर्ष की तुलना में मकान की प्रगति, पर देखा जा सकता है।

(ग) पीएमएवाई-जी के तहत अब तक आवंटित लक्ष्यों , स्वीकृत मकानों और निर्मित मकानों का विवरण अनुबंध- **II** में दिया गया है।

(घ) और (ङ) पीएमएवाई-जी के तहत , "सभी के लिए आवास" के उद्देश्य को पूरा करने के लिए मार्च 2024 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 2.95 करोड़ मकानों के निर्माण का लक्ष्य है। पीएमएवाई-जी के तहत, लाभार्थियों की पहचान सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) 2011 के तहत निर्धारित आवास अभाव मानदंडों के आधार पर की गई है। ग्राम सभा द्वारा विधिवत सत्यापन और अपीलीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद ग्राम पंचायत-वार स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) तैयार की जाती है। पीडब्ल्यूएल को अंतिम रूप देने के लिए ग्राम सभा की बैठकें आयोजित करने के लिए एसईसीसी, 2011 डेटाबेस से परिवारों की स्वतः सृजित प्राथमिकता सूची राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान की गई थी। दिनांक 07.12.2022 तक, एसईसीसी, 2011 से कुल 2.08 करोड़ परिवारों की पहचान की गई है और उन्हें पीडब्ल्यूएल में शामिल किया गया है। इसके अलावा , ऐसे परिवारों का विवरण जिन्होंने एसईसीसी 2011 पर आधारित पीडब्ल्यूएल से बाहर होने और पीडब्ल्यूएल में शामिल किए जाने के लिए पात्र होने का दावा किया था , उन्हें आवास+ सर्वेक्षण, 2018 में शामिल किया गया है। यह सर्वेक्षण जनवरी, 2018 और 7 मार्च, 2019 के दौरान आयोजित किया गया था। इस कार्य में , राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अतिरिक्त परिवारों के ब्यौरे डाले हैं। 87 लाख मकानों के अंतर (2.95 करोड़ - 2.08 करोड़) को पूरा करने के लिए आवास+ आंकड़े का उपयोग किया जा रहा है। इसमें से अब तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 83.83 लाख का लक्ष्य आवंटित किया जा चुका है।

राजस्थान राज्य और उत्तर प्रदेश के बांदा और चित्रकूट जिलों में पीएमएवाई-जी के तहत अब तक स्वीकृत मकानों और निर्मित मकानों का जिला-वार ब्यौरा अनुबंध- **III** में दिया गया है।

मंत्रालय ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पीएमएवाई-जी के तहत मकानों का समय पर निर्माण सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित पहल की है:

i. मंत्रालय स्तर पर प्रगति की नियमित समीक्षा
ii. योजना की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए पीएमएवाई-जी डैशबोर्ड का शुभारंभ।
iii. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लक्ष्यों का समय पर आवंटन और पर्याप्त निधियां जारी करना।
iv. निधियों के केंद्रीय और राज्य अंश जारी करने और ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए राज्य के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई करना।

v. निष्पादन सूचकांक डैशबोर्ड के आधार पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जिलों और ब्लॉकों को पुरस्कार देना और निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करना और उन्हें प्रेरित करना।

****

अनुबंध-I

पीएमएवाई-जी के तहत लाभार्थियों के संबंध में लोक सभा में दिनांक13.12.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1091 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

दिनांक 7.12.2022 तक राजस्थान के सवाई माधोपुर और टोंक जिलों की स्थिति के साथ देश में पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष अर्थात 2019-20 से 2022-23 के दौरान पीएमएवाई-जी के तहत आवंटित किए गए मकान लक्ष्य, स्वीकृत मकान की संख्या और निर्मित मकानों की स्थिति

(इकाई संख्या में)

क्र.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मंत्रालय द्वारा आवंटित लक्ष्य	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्वीकृत मकान	निर्मित मकान
1	अरुणाचल प्रदेश	27,163	24,775	3,503
2	असम	18,24,256	1213878	457101
3	बिहार	26,91,817	25,26,861	21,71,652
4	छत्तीसगढ़	3,87,915	3,08,914	74,971
5	गोवा	1,280	0	0
6	गुजरात	2,44,464	2,29,167	1,98,183
7	हरियाणा	9,287	7,272	838
8	हिमाचल प्रदेश	8,288	8,195	4,114
9	जम्मू और कश्मीर	1,68,064	1,61,759	73,218
10	झारखंड	10,74,477	10,54,396	8,38,781
11	केरल	13,307	12,864	3,640
12	मध्य प्रदेश	23,85,807	23,51,623	16,66,895
13	महाराष्ट्र	10,56,163	8,64,280	4,85,339
14	मणिपुर	36,426	26,707	7,646
15	मेघालय	60,103	44,412	13,967
16	मिजोरम	13,918	11,773	32
17	नागालैंड	20,536	18,112	991
18	ओडिशा	17,03,279	8,44,021	7,60,332
19	पंजाब	27,117	24,682	10,659
20	राजस्थान	10,46,868	10,39,221	7,90,663
	सवाई माधोपुर	**28,722**	**23,839**	**16,185**
	टोंक	**41,326**	**32,997**	**20,722**
21	सिक्किम	330	292	16
22	तमिलनाडु	4,89,887	4,33,734	1,87,594

23	त्रिपुरा	2,57,249	2,24,035	1,59,610
24	उत्तर प्रदेश	22,00,901	13,74,777	13,20,331
25	उत्तराखंड	35,074	19,081	15,065
26	पश्चिम बंगाल	32,26,367	20,76,441	20,11,190
27	अण्डमान और निकोबार	949	652	509
28	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	1,182	55	0
29	लक्षद्वीप	0	0	0
30	पुदुचेरी*	-	-	-
31	आंध्र प्रदेश	1,79060	1,11,312	6
32	कर्नाटक	1,83,658	39,508	6,011
33	तेलंगाना*	-	-	-
34	लद्दाख	714	679	202
	कुल	**1,93,75,906**	**1,50,53,478**	**1,12,63,059**

* पुदुचेरी और तेलंगाना पीएमएवाई-जी को कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं।

अनुबंध-II

दिनांक 9.12.2022 की स्थिति के अनुसार पीएमएवाई-जी के अंतर्गत लाभार्थियों के संबंध में लोक सभा में दिनांक 13.12.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1091 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(इकाई संख्या में)

दिनांक 09/12/2022 की स्थिति के अनुसार पीएमएवाई-जी के अंतर्गत लक्ष्य और उपलब्धियों का ब्यौरा				
क्र.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मंत्रालय द्वारा आवंटित लक्ष्य	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्वीकृत मकान	निर्मित मकान
1	अरुणाचल प्रदेश	38,384	35,987	9,818
2	असम	20,84,070	14,58,162	7,03,332
3	बिहार	38,62,734	36,95,921	33,47,538
4	छत्तीसगढ़	11,76,150	10,97,097	8,28,912
5	गोवा	1,707	248	140
6	गुजरात	4,49,167	4,32,859	3,99,237
7	हरियाणा	30,789	28,237	22,566
8	हिमाचल प्रदेश	15,483	15,383	11,195
9	जम्मू और कश्मीर	2,01,633	1,95,268	1,13,314
10	झारखंड	16,03,268	15,82,862	14,14,178
11	केरल	42,212	34,886	24,597
12	मध्य प्रदेश	37,89,400	37,54,658	30,87,221
13	महाराष्ट्र	15,05,983	12,99,206	9,37,228
14	मणिपुर	46,166	36,456	18,470
15	मेघालय	80,848	65,279	34,327
16	मिजोरम	20,518	18,374	6,167
17	नागालैंड	24,775	22,351	5,235
18	ओडिशा	26,95,837	18,36,367	17,13,224

19	पंजाब	41,117	38,680	24,506
20	राजस्थान	17,33,959	17,24,383	15,42,723
21	सिक्किम	1,409	1,371	1,087
22	तमिलनाडु	8,17,439	7,61,912	4,59,702
23	त्रिपुरा	2,82,238	2,49,098	1,98,662
24	उत्तर प्रदेश	34,78,718	26,70,415	25,95,313
25	उत्तराखंड	47,654	32,856	27,514
26	पश्चिम बंगाल	46,18,847	34,68,686	33,88,963
27	अण्डमान औरनिकोबार	1,631	1,347	1,168
28	दादरा और नगर हवेली	6,831	5,539	2,913
	दमन और दीव	68	47	13
29	लक्षद्वीप	53	53	44
30	पुदुचेरी*	-	-	-
31	आंध्र प्रदेश	2,56,270	1,82,632	46,726
32	कर्नाटक	3,07,746	1,61,873	1,01,676
33	तेलंगाना*	-	-	-
34	लद्दाख	1,992	1,906	1,429
	कुल	**2,92,65,028**	**2,49,10,399**	**2,10,69,138**

* पुदुचेरी और तेलंगाना पीएमएवाई-जी को कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं।

अनुबंध-III

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत लाभार्थियों के संबंध में लोक सभा में दिनांक13.12.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1091 के भाग (घ) और (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(इकाई संख्या में)

दिनांक 09/12/2022 की स्थिति के अनुसार पीएमएवाई-जी के अंतर्गत लक्ष्य और उपलब्धियों का ब्यौरा			
क्र.सं	जिले का नाम	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्वीकृत मकान	निर्मित मकान
राजस्थान			
1	अजमेर	27,687	24,615
2	अलवर	10,245	9,502
3	बांसवाड़ा	1,87,221	1,74,883
4	बारां	49,165	37,189
5	बाड़मेर	1,78,242	1,64,069
6	भरतपुर	13,765	11,981
7	भीलवाड़ा	61,309	54,257
8	बीकानेर	65,251	62,420
9	बूंदी	47,959	42,439
10	चित्तौड़गढ़	34,126	28,074
11	चुरू	30,174	28,241
12	दौसा	11,452	10,891
13	धौलपुर	10,236	9,656
14	डूंगरपुर	1,22,697	1,10,852
15	हनुमानगढ़	32,879	29,548
16	जयपुर	16,457	14,256
17	जैसलमेर	43,022	38,055
18	जालौर	59,266	55,480
19	झालावाड़	76,873	61,158
20	झुंझुनू	1,704	1,623
21	जोधपुर	81,153	72,613
22	करौली	33,137	28,575
23	कोटा	27,000	23,223
24	नागौर	37,567	34,923

25	पाली	37,922	33,863
26	प्रतापगढ़	68,193	59,201
27	राजसमंद	24,509	23,579
28	सवाई माधोपुर	35,293	29,244
29	सीकर	4,376	3,960
30	सिरोही	36,797	35,596
31	श्रीगंगानगर	54,551	48,631
32	टोंक	50,810	40,655
33	उदयपुर	1,53,345	1,39,471
उत्तर प्रदेश			
1	बांदा	64,522	63,691
2	चित्रकूट	28,480	27,244

****